न्यायालय समाहर्त्ता / जिला पदाधिकारी, सहरसा

आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 17 / 2016

प्रथम पक्षः– (1) पिंकू कुमारी पति श्री मणिकांत यादव
ग्राम पंचायत– बड़सम, वार्ड नं०– 02, थाना– बसनही,
प्रखंड– सोनवर्षा, जिला– सहरसा।

द्वितीय पक्षः– (1) रीणा कुमारी पति श्री कुमार राणा,
ग्राम पंचायत– बड़सम, वार्ड नं०– 01, थाना– बसनही,
प्रखंड– सोनवर्षा, जिला– सहरसा।
(2) बाल बिकास परियोजना पदाधिकारी, प्रखंड– सोनवर्षा, जिला– सहरसा।
(3) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा।

01.02.2019

–::आदेश::–

प्रस्तुत अभिलेख की कार्यवाही का प्रारंभ उपनिदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा के न्यायालय में अपीलार्थी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल अपील आवेदन के आलोक में दिनांक 18.06.2015 को किया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226 दिनांक– 11.08.2015 से अभिलेख हस्तानंतरित होकर अग्रेतर कार्यवाही, सुनवाई व निराकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

इस वाद में दोनों पक्ष उपस्थित हुए और उनके तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी का मुख्यतः कहना है कि सोनवर्षा प्रखंड अन्तर्गत पंचायत– बड़सम के आँगनबाड़ी केन्द्र– बड़सम–2 (मिनी), आँगनबाडी केन्द्र कोड संख्या– 216, वार्ड संख्या– 02, पर आँगनवाड़ी सेविका के चयन के निमित जारी सूचना के आलोक में इनके द्वारा भी आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें इनके अलावा अन्य 11 अभ्यर्थी और थी। सेविका पद पर चयन हेतु आमसभा दिनांक 16.11.2013 को आयोजित हुआ और मेधा सूची का प्रकाशन किया गया। मेधा सूची में रूबी कुमारी प्रथम स्थान पर, द्वितीय पक्ष रीणा कुमारी द्वितीय स्थान पर और अपीलार्थी यानि इनका नाम तृतीय स्थान पर रखा गया।

इनका आगे कहना हैं कि प्रथम स्थान पर आये रूबी कुमारी का शैक्षणिक प्रमाणपत्र संदेहास्पद होने के कारण उनका चयन नहीं किया गया। मेधा सूची में द्वितीय स्थान के रीणा कुमारी जो ग्राम पंचायत बड़सम, वार्ड संख्या 02 के बजाय वार्ड संख्या 01 की निवासी है, का गलत रूप से चयन कर दिया गया। रीणा कुमारी के वार्ड संख्या 01 के निवासी होने की पुष्टि ग्राम पंचायत बडसम वार्ड संख्या– 01 के S.E.C.C. ड्राफ्ट सूची से भी होती है।

अपीलार्थी का यह भी कहना है कि विपक्षी सदस्य के पति के भाई और विपक्षी के भाई भी सरकारी शिक्षक हैं और इसी के फलस्वरूप विपक्षी सदस्य द्वारा बी०एल०ओ० को अपने पक्ष में लाकर गलत तरीके से अपना नाम वार्ड संख्या– 01 के बजाय वार्ड संख्या– 02 में दर्ज करवा लिया गया है और विपक्षी के परिवार के सदस्यों के सरकारी सेवा में रहने के कारण भी उनका आँगनबाड़ी सेवका के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है।

अपीलार्थी का अंततः कहना है कि आँगनबाड़ी सेविका के चयन में बरती गई उक्त अनियमितता के विरूद्ध इनके ओर से निम्न न्यायालय में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा,

के समक्ष अपीलवाद संख्या– 73 / 2013–14, दायर किया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा बिना किसी जांच पडताल के और इनके ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार किए बिना एकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया, जों उचित नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ निम्न न्यायालय के वाद संख्या 73 / 2013–14 के अन्तर्गत दिनांक 19.05.2015 को पारित आदेश को अपास्त किये जाने और इस संबंध में उचित आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

दूसरी ओर द्वितीय पक्ष के रीणा कुमारी की ओर से अपीलार्थी के तरफ से प्रस्तुत तथ्यों पर आपत्ति प्रकट की गई। इनका कहना है कि ग्राम पंचायत बड़सम के आँगनबाड़ी केन्द्र बड़सम–2, मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र कोड संख्या– 216, वार्ड नं० 02 के आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु दिनांक– 16.11.2013 को आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 14 अभ्यर्थियों मे से 07 उपस्थित हुए। निर्धारित मैपिंग पंजी के आधार पर यह वर्ग बाहूल्य पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया। आम सभा द्वारा तैयार मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रूबी कुमारी, द्वितीय स्थान पर इन्हें और तृतीय स्थान पर अपीलार्थी पिंकू कुमारी को रखा गया। प्रथम स्थान पर आये रूबी कुमारी के प्रमाण पत्र के फर्जी पाये जाने पर वरीय पदाधिकारी से मंतव्य लेकर द्वितीय स्थान के रीणा कुमारी अर्थात इनका चयन किया गया, जो उचित है।

इनका आगे कहना है कि अपीलार्थी का मुख्यतः आरोप है कि ये अर्थात द्वितीय पक्ष के रीणा कुमारी वार्ड नं–02 की रहने वाली नही है और इसी आधार पर इस आँगनबाड़ी केन्द्र पर इनका चयन उचित नहीं है। जबकि बड़सम पंचायत के वार्ड नं 02 के वर्ष 2011 के मतदाता सूची के क्रम संख्या– 383 पर विपक्षी के पति राणा कुमार का नाम व क्रमांक 384 पर विपक्षी रीणा कुमारी का नाम दर्ज है। गृह संख्या– 30 दर्ज है तथा क्रमांक– 381 से 386 तक सम्पूर्ण परिवार के सदस्यों का नाम दर्ज है, जिसकी छायाप्रति लिखित बहस के साथ अनुलग्नक 02 के रूप में इनके ओर से दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के निर्धारण हेतु तैयार मैपिंग पंजी के क्रमांक 65 पर इनके पति राणा कुमार का नाम दर्ज है जिसकी छायाप्रति लिखित बहस के साथ इनके ओर से अनुलग्नक 03 के रूप में दाखिल है। अनुलग्नक 04 में इनके ओर से आम निर्वाचन नामावली 2016 पंचायत बड़सम वार्ड नं० 02 का छायाप्रति संलग्न किया गया है जिसमें क्रमांक 488 पर इनके पति राणा कुमार का नाम व क्रमांक 489 पर इनका अर्थात विपक्षी रीणा कुमारी का नाम, फोटो पहचान पत्र युक्त दर्ज है। अनुलग्नक 05 के रूप में दाखिल इनके नाम निर्गत आधार कार्ड में वर्णित पता में भी वार्ड संख्या– 02 दर्ज है। साथ ही पचायत के मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से युक्त प्रमाणपत्र द्वारा भी इनके वार्ड न 02 के स्थायी निवासी होने की बात प्रमाणित होती है।

इस प्रकार इनका कहना है कि उक्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि ये पोषक क्षेत्र के वार्ड नं 02 की स्थायी निवासी हैं और अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में लगाया गया आरोप निराधार है। अपीलार्थी द्वारा इन आरोपो के साथ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा के समक्ष निम्न न्यायालय में भी आँगनबाडी अपीलवाद संख्या– 73 / 2013–14, के अन्तर्गत मामला दायर किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों के सूक्ष्म अवलोकन से विपक्षी के चयन को सही पाकर अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया, जो विधिसम्मत है। द्वितीय पक्ष के रीणा कुमारी द्वारा मुख्यतः इन्हीं तथ्यों के साथ अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष राज्य के ओर से सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है। निम्न न्यायालय द्वारा प्रत्येक बिन्दुओं की उचित समीक्षा कर अपना आदेश पारित किया है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यक्ता नहीं है।

दोनों पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तार से सुना और निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी की ओर से मुख्यतः आपत्ति यह है कि विपक्षी सदस्य रीणा कुमारी ग्राम व पंचायत बडसम के वार्ड संख्या-- 02 की निवासी न होकर वार्ड संख्या– 01 की निवासी है। इसी कारण से वार्ड संख्या– 02 के ऑगनबाड़ी केन्द्र पर उनका चयन किया जाना ऑगनबाडी सेविका चयन हेतु निर्धारित मापदंडो से अलग है। इन्हीं तथ्यों के आलोक में जब उनके द्वारा निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा, के समक्ष अपील आवेदन दाखिल किया गया तो उनके तरफ से प्रस्तुत साक्ष्यों की अनदेखी कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा द्वारा इनके अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इनके ओर से इसी आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी को उक्त संबंध में इस न्यायालय में अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया परन्तु उनके ओर से ऐसा कोई भी मानक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे विपक्षी रीणा कुमारी के वार्ड संख्या-- 01 के निवासी होने की पुष्टि हो सके। दूसरी ओर विपक्षी सदस्य रीणा कुमारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यथा– वर्ष 2011 के पंचायत बड़सम वार्ड नं०– 02 के मतदाता सूची, वार्ड संख्या– 02 के मैपिंग पंजी, आधार कार्ड व अन्य साक्ष्यों से विपक्षी सदस्य रीणा कुमारी के वार्ड संख्या-- 02 के निवासी होने की पुष्टि होती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन के समय एवं विपक्षी के पति का नाम मैपिंग पंजी में दर्ज रहने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं दी गई है। उक्त स्थिति में मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी अपने दावे के आलोक में समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं जिससे उनके दावे की पुष्टि हो सके। इस प्रकार निम्न न्यायालय का आदेश उचित एवं विधिसम्मत् है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

उपस्थापक निम्न न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ संबंधित को भेंजे और आदेश की एक प्रति जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सहरसा को भेंजे। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित व शुद्विकृत

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

जिला पदाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 387 /न्याया0, सहरसा, दिनांक 25.07.19

प्रतिलिपि :– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा को निम्न न्यायालय के अभिलेख आँगनबाड़ी अपील वाद संख्या– 73/2013–14, पिंकू कुमारी बनाम रीणा कुमारी के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

25/07/19

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।